भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1217

गुरूवार, 5 दिसम्बर, 2024 / 14 अग्रहायण, 1946 (शक)

गिग श्रमिकों के श्रम अधिकार

1217. श्रीमती रंजीत रंजन:
श्री नीरज डांगी:
श्रीमती जेबी माथेर हीशम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में गिग श्रमिकों के सामने आ रही चुनौतियों का समाधान करने में सरकार के विफल रहने के क्या कारण हैं;
(ख) विशिष्ट केंद्रीय विधि के अभाव में सरकार किस प्रकार गिग श्रमिकों के श्रम अधिकारों की रक्षा करेगी;
(ग) क्या सरकार देश में गिग श्रमिकों के अधिकारों के विशिष्ट समाधान के लिए कोई केंद्रीय विधान पुर:स्थापित करने की योजना बना रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): पहली बार, 'गिग वर्कर्स' और 'प्लेटफॉर्म वर्कर्स' की परिभाषा और उससे संबंधित उपबंध सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में किए गए हैं, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय करने के उपबंध हैं। संहिता में कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने के भी उपबंध हैं।

हितधारकों के प्रतिनिधियों वाली समिति गठित की गई है, जो अन्य बातों के साथ-साथ गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए रूपरेखा का सुझाव देगी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्लेटफार्म समूहकों (एग्रीगेटर्स) को स्वयं को तथा उनके साथ नियोजित प्लेटफॉर्म कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए एक एडवायजरी जारी किया गया है। इससे प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों तक आसान पहुंच बनाने में सुविधा होगी।

*****